I   ②   APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम झुंझुनूं

भगवती देवी पत्नी हरिशचन्द्र जाट वगैरा बनाम अनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल मेघवाल

मुकदमा आवेदन-पत्र 251-(क) मु० नं. 91/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-1-2022 Sh प्रभारी अधिकारी शिविर पंचायत समिति झुंझुनूं (प्रशासन गांवों के संग) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	पत्रावली आदेश हेतु राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में पेश हुई। प्रा०-पत्र प्रार्थीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.8.2021 को एक आवेदन-पत्र इस आशय का बावत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 "क" की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए विरुद्ध अप्रार्थी पेश किया कि ग्राम चारणवास उर्फ सुल्तानसर प० हल्का प्रतापपुरा तह० व जिला झुंझुनूं में प्रार्थीगण की जमीन हाल ख० नं० 200 रकबा 1.55 है० स्थित है तथा इसके पास ही अप्रार्थी नं०-1 की जमीन हाल ख० नं० 217 स्थित है। ख० नं० 217 के पूर्व में ग्राम प्रतापपुरा से चारणवास उर्फ सुल्तानसर मुख्य सड़क स्थित है उक्त सड़क से ख० नं० 217 में से दक्षिण सीमा के सहारे-2 पूर्व से पश्चिम प्रचलित रास्ता कदीमी समय से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता है जिससे होकर ही आवेदकगण अपने खेत ख० नं० 200 में आते-जाते है। उक्त रास्ते को अनावेदक नं० 1 द्वारा बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में आने-जाने में परेशानी हो रही है प्रार्थीगण को अपने खेत ख० नं० 200 के खातेदार है। खेत ख० नं० 217 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत को नही लगता है आवेदन-पत्र पेश कर निवेदन कि आवेदकगण की कृषि भूमि ख० नं० 200 में आने-जाने के लिए वर्षो से कायम प्रचलित कदीमी रास्ता ख० नं० 217 (दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम) में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन-पत्र पेश करने पर आवेदन-पत्र अन्तानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नं०-1 को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। व तहसीलदार से आवेदन-पत्र के रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट पेश करने —2—	

तारीख हुक्म	
	हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा०-पत्र व शपथ-पत्र पेश किया। व तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की गई। हमने आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों व जवाब प्रा०-पत्र व शपथ पत्र अप्रार्थीगण में वर्णित तथ्यों व मौका रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दिनांक 21.9.21 को भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी हल्का प्रतापपुरा के साथ मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर तारबंदी कर 12 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद होना अंकित किया गया है तथा रास्ते की 265 वर्ग मी. भूमि की कीमत D.L.C दर 3,74,613/- के अनुसार मुआवजा राशि 19,854 रू. निर्धारित की गई है चूंकि प्रकरण में ख०नं० 217 के खातेदार अप्रार्थी द्वारा एक वाजिब जवाब व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रास्ता भूमि का प्रतिफल राशि 19,854/- रू० प्रार्थीगण से प्राप्त कर लिया जाना बताया है तथा मौके पर रास्ता भी पूर्व से प्रचलित है अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह आवेदन-पत्र अ० धारा 251(क) का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम प्रतापपुरा के ख०नं० 217 की दक्षिण सीमा के सहारे-2 12 फीट चौड़ा रास्ता रकबा 265 व०मी. राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें। रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम कर राजकोष खाते के गैर मु० रास्ता के रूप अंकित किया जावे, उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा। भू-निरी० रिपोर्ट दिनांक 21.9.21 निर्णय का भाग रहेगी। पालनार्थ हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को प्रति आदेश भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील के बाद व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	प्रभारी अधिकारी शिविर पंचायत समिति झुंझुनूं (शैलेश खैरवा) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं